न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 127 / 2019(GCMS 2019/00212)
राज्य सरकार जरिये सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी (अभि.) श्रीगंगानगर

बनाम

साबिर मोहम्मद, मैन बाजार में सोनिया जनरल स्टोर के साथ, बाहर सीढ़ियों में रंगाई का कार्य, सूरतगढ़

12.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी साबिर मोहम्मद को बार बार आवाज़े लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। **अप्रार्थी साबिर मोहम्मद** दिनांक 13.11.2019 को उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया, उसके पश्चात कभी उपस्थित नहीं हुए। विभागीय प्रतिनिधि श्री विजेन्द्र पाल उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी साबिर मोहम्मद ने अपने जवाब में कथन किया है कि उसके द्वारा सूरतगढ मैन बाजार में सोनिया जनरल स्टोर के साथ बाहर सीढ़ियों में रंगाई का कार्य किया जाता है। दिनांक 07.09.2019 को उसका व्यवसायिक सिलेण्डर एकदम से खत्म हो गया था, जिसके कारण उसके द्वारा मौके पर अस्थाई रूप से कार्य की अधिकता को देखते हुए घरेलू सिलेण्डर को जोड़ लिया गया था, उसी दौरान जांच दल द्वारा उसकी दुकान की जांच की गई व जांचकर्त्ता अधिकारियों को मौके पर घरेलू लाल रंग वाला सिलेण्डर उपयोग होता मिला, जिसके कारण उनके द्वारा उक्त सिलेण्डर को जब्त कर लिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि उसके द्वारा व्यवसायिक कार्य हेतु व्यवसायिक नीले रंग वाला एनडी सिलेण्डर ही प्रयोग में लिया जाता है एवं उसे लाल अनुदानित सिलेण्डर का प्रयोग नहीं करने संबधी नियम का व्यक्तिगत रूप से कोई ज्ञान भी नहीं था, इस प्रकार उसके द्वारा नोटिस में वर्णित LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3 (1) (बी)(सी) व 7(1) (सी) की जानबूझकर कोई अवहेलना नहीं की गई है ऐसा केवल अज्ञानतावश हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उसका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जिसके द्वारा सड़क के किनारे रंगाई आदि का कार्य किया जाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया जाता है व जो सिलेण्डर जब्त हुआ है वह उसके घर की रसोई का सिलेण्डर था, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध जारी कार्यवाही को ड्रॉप करके जब्त किया गया घरेलू सिलेण्डर उसे लौटाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 07.09.2019 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिए सूरतगढ स्थित मैन बाजार में सोनिया जनरल स्टोर के साथ बाहर सीढ़ियों में रंगाई का कार्य करने वाले की तलाशी ली गई तो वक्त जांच दुकान पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम साबिर मोहम्मद एवं स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। वक्त निरीक्षण तलाशी लेने पर बीपीसीएल कम्पनी (एस.आर. नं. 204835) का एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी (चल्हें) से जुडा पाया गया। व्यवसायिक स्थान पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना जाहिर होने पर मौके पर उक्त अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त किया गया। अप्रार्थी साबिर मोहम्मद ने अपने जवाब 13.11.2019 में अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का उयोग किया जाने के तथ्य को सही माना है।

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 07.09.2019 को उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ [illegible] 1767 दिनांक 02.09.2019 कें क्रम में जिला [illegible] के निर्देशानुसार घरेलू अनुदानित गैस [illegible] व्यवसायिक उपयोग के जांच हेतु श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, सूरतगढ हमराज श्री

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

अशोक, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ मैन बाजार में सोनिया जनरल स्टोर के साथ बाहर सीढ़ियों में रंगाई के कार्य करने वाले व्यक्ति के पास जाचं पहुंचे। जांच के वक्त साबिर मोहम्मद उक्त स्थल पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को उक्त वस्त्र रंगाई व थडी का मालिक होना बताया व उसके द्वारा ही अपनी उपस्थिति में निरीक्षण करवाया गया। मौके पर उसके द्वारा चुन्नी व अन्य वस्त्रों की रंगाई संबंधी कार्य किया जा रहा था तथा उसके द्वारा वस्त्र रंगाई कार्य की एवज में उपभोक्ताओं से राशि वसूली जाती है। जांच के वक्त मौके पर एक भट्टी बीपीसीएल कंपनी (एस.आर.नं. 204835) के घरेलू अनुदानित सिलेण्डर से जुड़ी हुई मिली जो कि चालू हालत में थी एवं उसके उपर एक द्रव्य गर्म करने का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार साबिर मोहम्मद द्वारा घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। उक्त व्यापार स्थल पर अनुदानित गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर जय बजरंग बली गैस एजेंसी (बीपीसीएल), सूरतगढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। साबिर मोहम्मद द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3 (1) (बी)(सी) व 7(1) (सी) की स्पष्ट अवहेलना के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत सीजशुदा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अथवा तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.02.15 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

चूंकि अप्रार्थी ने अपने उक्त व्यवसायिक स्थान पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल कमपनी (एस.आर.न. 204835) का व्यवसायिक उपयोग करके एलपीजी (रेगूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के क्लॉज 3(1) (बी)(सी), 7(1)(सी) की अवहेलना की है और अप्रार्थी साबिर मोहम्म्द ने अपने जवाब में इस तथ्य को सही माना है। इसलिए जब्त शुद्धा उक्त एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल कमपनी (एस.आर.न. 204835) राजसात करने योग्य है।

अतः अप्रार्थी से सीज शुद्धा उक्त एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल कमपनी (एस.आर.न. 204835) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर उक्त अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल कमपनी (एस.आर.न. 204835) का नियमानुसार राज्य पक्ष में निस्तारण करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर